समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला राजस्व शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17-कम्प्यू0(विविध)-242/2013- 1915 दिनांक 18.12.2014 में प्राप्त निदेशानुसार पूर्णियाँ जिला के जिला अभिलेखागार/अंचल/राजस्व हल्का कार्यालयों में उपलब्ध सभी जमाबंदी पंजी एवं सर्वे खतियान की स्कैनिंग कराकर ऑनलाईन प्रकाशन किया जाना है। उक्त जमाबंदी पंजी एवं सर्वे खतियान की स्कैनिंग, स्कैनिंग के पश्चात सर्वे खतियान एवं जमाबंदी पंजी का चार-चार प्रतियों में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी हेतु एजेंसी एवं दर का निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में निम्नलिखित शर्तो के साथ दिनांक 27.02.2015 को 05:00 बजे अपराह्न तक जिला राजस्व शाखा, समाहरणालय, पूर्णियाँ में निबंधित डाक से अथवा सीधे डाली जा सकती है।

सभी निविदा दिनांक 28.02.2015 को 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व शाखा, समाहरणालय, पूर्णियाँ में किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तकनिकी निविदा में सफल संवेदकों का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

निविदा की शर्तेः-

(क) तकनीकी निविदा की शर्तेः-

1. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर (VAT) एवं आयकर में (PAN) निबंधित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। साथ ही अद्यतन कर शोधन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। VAT कटौती के उपरान्त ही चयनित फर्म को राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0- 10,000.00 (दस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से विकलनीय होगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
4. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जाय।
5. निविदादाता का प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है, से संबंधित शपथ पत्र निविदा के साथ देना आवश्यक होगा।
6. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी Operating System Licensed/ Legal Authorized है।
7. स्कैनिंग, Book Scanner with a speed of 10PPM के माध्यम से किया जाना है।
8. निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10PPM का उपयोग कर स्कैनिंग कार्य करना होगा।

9. Book Scanner with a speed of 10PPM का कार्य जिला मुख्यालय में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/बनमनखी/बायसी/धमदाहा एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पूर्णियाँ के पर्यवेक्षण में कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्त्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।

10. आवश्यकतानुसार कार्य को समयावधि के अन्तर्गत समाप्त करने हेतु अधिक मशीन एवं सामग्री लगाने का निदेश भी दिया जा सकता है, जिसे निविदादाता को आपूरित करना होगा।

11. निविदादाता को तकनीकी क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध साधनों (Pool Sources) का विवरण यथा कम्प्युटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर विशिष्टता के साथ सही-सही अंकित करना होगा। साथ ही कम्प्युटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की संख्या, जेनरेटर, प्रतिदिन स्कैनिंग करने की क्षमता तथा प्रतिदिन प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि सही-सही अंकित करना होगा। निविदा में अंकित शर्त्तों के अनुरूप कार्य नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

12. निविदादाता को लेजर प्रिटिंग हेतु Original Tonner एवं Legal/A3 Size सेनच्यूरी पेपर का ही उपयोग करना होगा।

13. सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर समाप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से विपत्र में कटौती की जाएगी तथा अग्रधन की राशि जप्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी।

14. किसी भी परिस्थिति में Sub-contracting स्वीकार नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संबंधित फर्म के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

15. Book Scanner with a speed of 10PPM एवं अन्य किसी तकनीकि जानकारी हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पूर्णियाँ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

16. चयनित निविदादाता को दो प्रति में सॉफ्ट कॉपी (Data virus Malwarefree स्थिति में सभी Operating Codes के साथ) एवं हार्ड कॉपी 04(चार) प्रति में कार्य समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जिला राजस्व शाखा, समाहरणालय, पूर्णियाँ में उपलब्ध कराना होगा।

17. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वंय के खर्च पर करना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18. संबंधित अनुमण्डल के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा स्कैनिंग कार्य हेतु जमाबंदी तथा सर्वे खतियान के कुल पृष्ठ के विरूद्ध की गयी स्कैनिंग कार्य की गणना संबंधी प्रमाण पत्र देंगें तथा तदनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पूर्णियाँ द्वारा सॉफ्ट प्रति की जांच एवं प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय शर्त्तः-

1. स्कैनिंग एवं हार्ड कॉपी की दर संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा। (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 17-कम्प्यू0(विविध)-242/2013- 1915 दिनांक 18.12.2014)
2. प्रिंटिग Legal/A3 साईज सेंच्यूरी पेपर का मुद्रण (कागज सहित)

(ग) सामान्य शर्त्तः-

1. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाताओं के बीच भी आवंटित किया जा सकता है। निविदादाता के संयुक्त कार्य का आदेश जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पास सुरक्षित रहेगा।
2. चयनित एजेंसी को जो भी सरकारी कागजात यथा जमाबंदी पंजी, सर्वे खतियान आदि स्कैनिंग के लिए दी जायेगी उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी, जबतक की स्कैनिंग के पश्चात मूल पंची यथावत् अवस्था में अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार को वापस नहीं कर दिया जाता।
3. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
4. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जाएगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई सूद की राशि देय नहीं होगी।
5. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. फर्म का चयन उनकी तकनीकि दक्षता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जाएगा।

विस्तृत जानकारी जिला के वेवसाईट www.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/-
समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक ..../रा0, पूर्णियाँ, दिनांक ....

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचना की सात अतिरिक्त प्रतियो तथा सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा की सूचना दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक ......509......./रा0, पूर्णियाँ, दिनांक .18..2..15

प्रतिलिपि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ जिला/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पूर्णियाँ/सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, पूर्णियाँ/अवर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि अंचलों में जमाबंदी पंजी-2 की संख्या (पृष्ठों की संख्या के साथ) से संबंधित हल्कावार प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2015 तक जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें साथ ही यह भी प्रमाण पत्र देगें की प्रतिवेदित तिथि तक सभी जमाबंदी पंजी की संख्या दर्ज कर दी गई है ।

प्रतिलिपि उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला अभिलेखागार, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित उन्हें निदेश दिया जाता है कि राजस्व थाना वार सर्वे खतियान की संख्या(पृष्ठों की संख्या के साथ) से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2015 तक जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ।

Rajesh.
16/2/15
समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ ।